न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 6/2020/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 6.1.2020

अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

रूपसिंह आत्मज कान्हसिंह जाति राजपूत निवासी भाटों का खेडा थाना गेण्डोली जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर बूंदी।
2. जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी
3. जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी
4. थानाधिकारी थाना गेण्डोली जिला बूंदी ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तंवर सिंह पितलावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 3.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/2019/11479 दिनांक 4.11.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 6.1.2009 को आवेदन पत्र अधीनस्थ कार्यालय मे पेश किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नही किये जाने पर आवेदन पत्र को पूर्व आदेश कमांक 1107 दिनांक 14.2.2012 से निरस्त कर प्रार्थी को जेरअपील आदेश/पत्र से सूचित किये जाने पर अपील सं0 40/12 न्यायालय हाज मे पेश की गई जिसको निर्णय दिनांक 5.11.2012 से रिमांड किया गया। रिमांड आदेश की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अनुशंषा नही किये जाने पर पुनः दिनांक 28.4.2016 को आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिसकी अप्रसन्नता से पुनः अपील सं0 63/16 न्यायालय हाजा मे पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 6.2.2017 से पुनः प्रकरण रिमाण्ड किया गया। न्यायालय हाजा के रिमांड आदेश की पालना मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन लाईसेन्स जारी किये जाने की अनुशंषा नही किये जाने पर दिनांक 19.6.2017 को पुनः आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा पुनः न्यायालय हाजा मे अपील सं0 30/18 पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 8.4.2019 अनुसार प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमांण्ड किया गया था। न्यायालय हाजा के रिमांड आदेश की पालना मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट को नवीनशस्त्र जारी करने की अनुशंषा नही की गई अतः अपीलांट द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 6.1.2009 को प्रस्तुत आवेदन पत्र को पुनः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा आदेश कमांक 11479 दिनांक 4.11.2019 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया गया कि ट बूंदी द्वारा आदेश कमांक 11479 दिनांक 4.11.2019 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून एंव तथ्यो के विरूद्ध है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड आदेश की पालना मे पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण न कर दुबारा नया शस्त्र चाहने बावत प्रकिया पुनः शुरू की जो रिमांड आदेश के विपरीत है। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 30.6.2009 अपीलार्थी के पक्ष मे जारी की गई इसी प्रकार थानाधिकारी गेण्डोली का चरित्र प्रमाण दिनांक 17.4.2012 व तहसीलदार बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 20.7.2009, सीआईडी सीबी (इन्टे0) जोन कोटा की रिपोर्ट दिनांक 24.11.2010

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मण्डल वन अधिकारी बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.7.2011 पुलिस अधीक्षक की पुनः ली गई रिपोट्र दिनांक 5.10.2011 , शस्त्र प्रशिक्षण के संबध मे जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.6.2011 जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 30.5. 2013 अपीलांट क पक्ष मे जारी की गई थी। उक्त सभी तथ्यो के होते हुये भी थानाधिकारी गेण्डोली की अपीलांट के पक्ष मे जारी एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर वृत्ताधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलांट के पक्ष मे शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने की अनुशंषा के आधार पर ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील आदेश दिनांक 4.11.2019 पारित कर दिया जो अपीलांट के हितो के विरूद्ध है। अपीलांट के पास स्वंय की कृषि भूमि है नया शस्त्र 12 बोर बन्दूक का लाईसेन्स आत्म रक्षा हेतु चाहा गया है जिसके लिये अपीलार्थी पात्र होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेरअपील पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का आदेश दिनांक 4.11.2019 अपास्त कर अपीलांट के पक्ष मे नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड आदेश की पालना मे पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण न कर दुबारा नया शस्त्र चाहने बावत प्रकिया पुनः शुरू की जो रिमांड आदेश के विपरीत है। पत्रावली मे सभी वाछित रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष मे थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया तथा पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार बनाकर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया। अपीलांट को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर जेरअपील आदेश से आवेदन पत्र निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। अंत मे अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त कर अपीलांट के पक्ष मे नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के संबध मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अनुशंषा नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर सूचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश न्यायोचित होने से अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख व आलौच्य जेरअपील आदेश दिनांक 4.11.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 6.1.2009 को प्रस्तुत आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंषा नही की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व मे अपीलांट के आवेदन पत्र को 3 बार निरस्त किया हैं जिसकी अपील न्यायालय हाजा मे पेश करने पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जाता रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व मे अपीलांट के प्रकरण को 3 बार क्रमशः दिनांक 5.11.2012, 6.2.2017 व 8.4.2019 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जा चुका है। रिमांड आदेश की पालना मे सक्षम अनुज्ञाप्ति अधिकारी का लगातार यह मत रहा है कि अपीलार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आलोच्य आदेश दिनांक 4.11.2019 से अपीलार्थी के नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख उपखण्ड मजि0 बूंदी की रिपोर्ट क्रमांक 995 दिनांक 10.3.2014 एंव जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक 9.11.2017 के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान मे कोटा मे निवास करता है। अपीलार्थी को जीवन से खतरे का कोई विशिष्ट तथ्य नही है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2019/11479 दिनांक 4.11.2019 को न्यायोचित पाते है। उक्त विवेचन अनुसार परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 3.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा